रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240506 CG-DL-E-23112022-240506

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5221]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2022/अग्रहायण 2, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2022/AGRAHAYANA 2, 1944

No. 5221]

, ,

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2022

सं. 23/2022-केंद्रीय कर

का.आ. 5450(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 171 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को यह जांचने के लिए सशक्त करती है, कि क्या किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी के परिणामस्वरूप वास्तव में उसके द्वारा आपूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में अनुरूप कमी आई है।

2. यह अधिसूचना 1 दिसंबर, 2022 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20/2/2022-जीएसटी]

विक्रम विजय वानेरे. अवर सचिव

7796 GI/2022 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2022

No. 23/2022 - Central Tax

S.O. 5450(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 171 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Goods and Services Tax Council, hereby empowers the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), to examine whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

2. This notification shall come into force with effect from 1st day of December, 2022.

[F. No. CBIC-20/2/2022-GST]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.